

विधायक सं. क्र. 4317/50 9317

श्री. भावानी शर्मा प्रसाद पार्षद "31"
जायसवाल जी (54)

डाक-ब्याज को पूर्व-अदायगी से बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-सं. क्र. भोपाल-प. क्र.
क्रि. सं. क्र. भोपाल-03-03.

पंटी, इलाहाबाद भोपाल विभाग
स. क्र.-108-भोपाल-03-03.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2005-भाग 4, संक 1926

श्रम विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. एफ. 14-13-2004-ए-सोल्ड-धवन एवं अन्य सैनिकीय कर्मकार (विभाजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वर्गों के विनियमित प्रवर्गों को धवन तथा अन्य सैनिकीय कर्मकारों के रूप में सम्मिलित करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	कर्मकारों के प्रवर्ग (2)
-------------------	-----------------------------

16/2/05

1. पत्थर काटने वाले या कचरा तोड़ने वाले या पत्थर सीसने वाले
2. पज (मैसज) या ईंटों पर चढ़ा करने वाले
3. बहुरी (कारपेंटर)
4. पुतई बनाने वाले (पेंटर)
5. फिर या भा. बेंडर
6. सड़क के पार्श्व परमत्त कार्य में लगे प्लम्बर
7. इलेक्ट्रिशियन
8. मैकेनिक
9. कुर्प खोदने वाले
10. बेस्टिडिंग करने वाले
11. मुख्य मजदूर
12. मजदूर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश सरकार,
श्रम विभाग (शांका 1)
मंत्रालय, भोपाल

(1)

(2)

12	संगम या निष्कर्षण (बंदक बनाने में लगे)
14	लकड़ी या स्लैब रैक करने वाले
15	कुएँ में खोद (ड्रिलिंग) इटाने वाले गोलखोर
16	इथीका चलाने वाले
17	खम्बर डालने वाले
18	मिश्रक
19	लीहारा
20	लकड़ी चीरने वाले
21	कोलकर
22	मिश्रण बनाने वाले (कंक्रीट मिश्रण चलाने वाले सहित)
23	पोंग भांगरदार
24	मिश्रण चलाने वाले
25	रोला चालक
26	बड़े यंत्रों को चलाते हैं और मशीनरी पुल के कार्य आदि में लगे चलाने
27	चूँचोदार
28	मोजकईस पालिश करने वाले
29	सुरंग कर्मकार
30	सागरमर/कड़वा पत्थर कर्मकार
31	सड़क कर्मकार
32	चबूतरा डेढ़ने वाले एवं शक्ति कर्मकार
33	हॉलिंग/म/कार/के/टुडे/बिडो/का/कार/खो/का/कार
34	बुले/बन्दो/को/लिफ्ट/में/सुरंग/कर्मकार
35	बस/कठक/रोधी/कार्य/में/लगे/कर्मकार
36	बॉग, टुंग, चक्रक या किसी भी अन्य इन्जिनियरिंग संक्रिया में नियोजित वे लगे कार्य करने वाले कर्मकार
37	कारखान अधिनियम, 1948 (1948 का संशोधन अधिनियम 12) के अधीन ईट बनाने में लगे कर्मकार से भिन्न कर्मकार
38	संभाल इन्जिनियरिंग में लगे कर्मकार

No. F 14-1304-XVJ-A.--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 2 of the Building and other Construction workers (Regulation of Employment and conditions of Services) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Government hereby include the following categories of the workers specified in column of the table below as building and other construction worker namely:-

TABLE

Serial Number (1)	Category of workers (2)
1	Stone cutter or stone breaker or stone crusher
2	Mason or Brick Layer
3	Carpenter
4	Painter
5	Fitter or bar tender
6	Plumber for road pipe work

अनुभाग अधिकारी
राज्य शासन,
भारत